01.10.25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उक्त वाद में अतः
प्रार्थी का आवेदन सीमांकन करवाने बाबत खारिज किया
जाता है। विस्तृत निर्णय शामिल किया गया। पत्रा-
वली फैसल हो।

आदेश सुनाया गया।

GCMS
2025/288

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.10.03 18:53:39 IST
Reason: SelfAttested

नियम 28)

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**

राकेश कुमार वगैरा बनाम राजस्थान सरकार आदि

किस्म मुकदमाः–कदीमी रास्ता प्रकरण प्रकरण संख्याः– 107/2025 ( GCMS No. 2025/288)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 01.10.2025 | पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी श्री बलदेव बिश्नोई ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण के नाम से कृषि वाके चक 2 बी0एन0पी0एम0 के पत्थर नं0 105/326, 105/325, 105/324 मे खातेदारी भूमि व काश्तकारों की ढ़ाणियां बनी हुई है। प्रार्थीगण ने खातेदारी भूमि में फसल बिजाई की जाती है। प्रार्थीगण अपनी–अपनी खातेदारी भूमि में ढ़ाणी बनाकर निवास करते हैं। प्रार्थीगण व अन्य काश्तकार की भूमि में आवागमन हेतु रास्ता वाके चक 2 बी0एन0पी0एम0–बी तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 104/326 के किला नं0 21 में, पत्थर नं. 105/326 के किला नं. 23 ता 25 में तथा चक 2 बी0एन0पी0एम0–ए के पत्थर नं. 105/327 के किला नं. 1 व 2 में रास्ता चला आ रहा हे। जिसमें प्रार्थीगण अपने–अपने खेतों में आवागमन करते हैं। जिससे भूमि बिजान करने हेतु वाहन आदि लेकर जाते हैं। उक्त कदीमी रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में स्वीकृतशुदा रास्ता को जोड़ते हुए दो गांवो को आपस में जोड़ता है। कदीमी रास्ता के बीच में बीएनपीएम माईनर गुजरती है। जिस पर पक्का पुल बना हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर कदीमी रास्ता को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने के आदेश फरमावें।<br>वकील अप्रार्थी श्री जसवीर सिंह बराड़ ने जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रस्तावित रास्ता कभी भी चालू नही रहा है। जब चालू नही रहा है तो आवागमन होने का सवाल ही पैदा नही होता है। जबरन रास्ता निकालना चाहते है। प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जावे।<br>उभय पक्ष की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा चक 2 बी0एन0पी0एम0–बी तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 104/326 के किला नं0 21 में, पत्थर नं. 105/326 के किला नं. 23 ता 25 में तथा चक 2 बी0एन0पी0एम0–ए के पत्थर नं. 105/327 के किला नं. 1 व 2 में कदीमी रास्ता स्वीकृत करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रस्तावित रास्ता को स्वीकृत करने की अभिशंषा की गई है। उक्त प्रकरण में प्रस्तावित रास्ता का मेरे स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण से स्पष्ट है कि प्रा[illegible] लगता है। इसलिये वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से यह रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित नही है।<br>अतः उपर्युक्त विवेचन आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् कदीमी रास्ता स्वीकृति निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शामिल होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>(भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S.<br>उपखण्ड अधिकारी<br>सूरतगढ़ | |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.10.03 18:53:39 IST
Reason: SelfAttested